उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
(उ0 प्र0 सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार
14, अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

संख्या : 587–मा0सं0–01/वि0उ0नि0लि0/2018–24–मा0सं0–01/2005(टी0सी–3) दिनांक : 21, फरवरी, 2018

कार्यालय ज्ञाप

निगम के कार्यालय ज्ञाप सं0 3791–मा0सं0–01/वि0उ0नि0लि0/2017–24–मा0सं0–01/2005(टी0सी–3) दिनॉक 16.10.2017 द्वारा चयन वर्ष 2015–16 एवं चयन वर्ष 2016–17 में प्रोन्नति तथा सीधी भर्ती से नियुक्त लेखाधिकारियों की पारस्परिक ज्येष्ठता सूची अनन्तिम (Tentative) रूप से घोषित करते हुए 15 दिन में आपत्तियॉ आमन्त्रित की गयी थीं।

2– उपरोक्तानुसार चयन वर्ष 2015–16 की घोषित अनन्तिम पारस्परिक ज्येष्ठता सूची के विरुद्ध कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। चयन वर्ष 2016–17 की घोषित अनन्तिम पारस्परिक ज्येष्ठता सूची की विरुद्ध सर्वश्री योगेश कुमार शर्मा, संजय कुमार, सुनील कुमार मिश्रा, सुश्री ख्याति सिंह, अरीब आकिफ मेहताब, गोविन्द कुमार तथा दीपक कुमार, लेखा अधिकारियों के प्रत्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिसका निस्तारण निम्नवत् किया जा रहा है :–

(क) श्री योगेश कुमार शर्मा, लेखाधिकारी से प्राप्त प्रत्यावेदन

प्रत्यावेदनकर्ता ने अपने प्रत्यावेदन में निम्नवत अभिकथित किया है कि आदेश सं0 2320–मा0सं0–01/विउनिलि/2015 दिनांक 07.08.2015 द्वारा उनकी नियुक्ति लेखाधिकारी (प्रशिक्षु) पद पर हुई थी। उन्होंने दिनांक 19.09.2015 में कार्यभार ग्रहण किया था। इन्हें चयन वर्ष 2016–17 में वरिष्ठता प्रदान की गयी है जबकि निगम के कार्यालय ज्ञाप सं0 1385–मा0सं0–01/विउनिलि/2011 दिनांक 19.05.2011 द्वारा लेखाधिकारी (प्रशिक्षु) पर नियुक्त लेखाधिकारियों को चयन वर्ष 2011–12 की घोषित अन्तिम ज्येष्ठता सूची में रखा गया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी अवगत कराया है कि उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद सेवक ज्येष्ठता विनियमावली 1998 के अनुसार सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति से नियुक्त अधिकारियों की वरिष्ठता का निर्धारण उनके नियुक्ति आदेश की तिथि से किया जाता है। भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के ज्ञाप सं0 20011/1/2012–Estt. [D] दिनांक 04.03.2014 एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं0 7514–7515/2005 में दिये गये निर्णय दिनांक 27.11.2012 के आधार पर सीधी भर्ती से नियुक्त कार्मिक, जिनकी नियुक्ति पूर्व की विज्ञप्ति के विरुद्ध हुआ है, को प्रोन्नति से नियुक्त कार्मिक के विरुद्ध वरीयता दिया जाना है।

(ख) सर्वश्री सुनील कुमार मिश्रा एवं दीपक कुमार, लेखाधिकारियों से प्राप्त प्रत्यावेदन

प्रत्यावेदनकताओं ने अपने प्रत्यावेदनों में निम्नवत् अभिकथित किया है :–

1– उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद लेखा अधिकारी सेवा नियमावली–1984 (यथासंशोधित) तथा उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद सेवक ज्येष्ठता विनियमावली–1998 (यथासंशोधित) के भाग–2 बिन्दु संख्या–8 के अनुसार "उस स्थिति में ज्येष्ठता जब नियुक्तियां पदोन्नति एवं सीधी भर्ती से की जाय –

(1) जहॉ सेवा विनियमों के अनुसार नियुक्तियां पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से की जानी हो, वहॉ इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता उनकी मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से निम्नलिखित उपनियमों के प्रतिबन्धों

क्रमश :.....2/–

के अधीन अवधारित की जायेगी और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाय तो उस कम में अवधारित की जायेगी जिसमें उनके नाम नियुक्ति आदेश में रखे गये है :–

प्रतिबन्ध यह है कि यदि नियुक्ति के आदेश में कोई ऐसा विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट हो जिससे कोई व्यक्ति मौलिक रूप से नियुक्त किया जाय तो यह दिनांक मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक माना जायेगा और अन्य मामलों में इसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा।

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि सीधे भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है यदि किसी रिक्त पद का उसे प्रस्ताव किए जाने पर वह विधिमान्य कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने के विफल रहता है, कारणों कि विधिमान्यता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(2) किसी एक चयन के परिणामस्वरूप :–

(क) सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्तियों कि परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जैसी यथास्थिति आयोग का समिति द्वारा तैयार की गयी ज्येष्ठता सूची में दिखाई गयी हो,

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर जयेष्ठता वही होगी जो इस स्थिति के अनुसार कि पदोन्नति एकल पोषक संवर्ग से या अनेक पोषक संवर्गो से होती है यथास्थिति, विनिमय–6 या विनिमय–7 में दिये गये सिद्धंतो के अनुसार अवधारित की जाय।

(3) जहां किसी एक चयन के परिणामस्वरूप नियुक्तियां पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से की जायं वहाँ पदोन्नत व्यक्तियों की, सीधे भर्ती किये गये व्यक्तियों के सम्बंन्ध में ज्येष्ठता, जहां तक हो सके दोनों स्त्रोतों के लिए निहित कोटा के अनुसार, चक्रानुक्रम में प्रथम स्थान पदोन्नत व्यक्ति का होना अवधारित की जायेगी"।

2– विषयागत अनन्तिम ज्येष्ठता सूची का अवलोकन करने पर प्रतीत होता है कि उक्त सूची को पूर्ववर्ती उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद सेवक ज्येष्ठता नियमावली–1988 के प्राविधान 8 के अनुसार उस स्थिति में ज्येष्ठता जब नियुक्तियां पदोन्नति और सीधी भर्ती से की जाय, के सन्दर्भ में बिन्दु 8 (1) के प्राविधान तथा प्रतिबन्धाधीन प्राविधानों के आलोक में रखकर तैयार नहीं की गयी है।

3– पूर्ववर्ती उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद सेवक ज्येष्ठता नियमावली–1988 उ0 प्र0 पॉवर कारपोरेशन लि0 तथा सहयोगी कम्पनियों तथा उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 पर समानरूप से प्रभावी है तथा इनके द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। उ0 प्र0 पॉवर कारपोरेशन लि0 द्वारा उक्त प्राविधानों एवं प्रतिबन्धाधीन प्राविधानों को अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए हाल ही में किये गये

क्रमश :.....3/–

कार्यालय ज्ञाप संख्या 2646 एवं 2648/अ0प्र0–07/पा0का0लि0/16–05–अ0प्र0–07/15 दिनांक 30.06.2016 के पैरा 02 में स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है कि "किसी एक चयन वर्ष में प्रोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों को उस चयन वर्ष में सीधी भर्ती द्वारा चयनित अभ्यर्थी या चयन हेतु सीधी भर्ती की उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध चयन हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया जा चुका है तो अद्यतन प्रकियाधीन कार्यवाही के फलस्वरूप चयनित होने वाले अभ्यर्थियों के साथ समामेकित करते हुए ज्येष्ठता सूची घोषित की जायेगी।"

4– इसके अतिरिक्त भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के ज्ञाप सं0 20011/1/2012–Estt.[D] दिनांक 04.03.2014 एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं0 7514–7515/2005 में दिये गये निर्णय दिनांक 27.11.2012 के आधार पर सीधी भर्ती से नियुक्त कार्मिक, जिनकी नियुक्ति पूर्व की विज्ञप्ति के विरुद्ध हुई है, को चयन हेतु आदेश की तिथि को आलोक में रखते हुए प्रोन्नति से नियुक्त कार्मिक के बिरुद्ध वरीयता दिया जाना है।

5– निगम में भर्ती चयन वर्ष 2014–15 में लेखाधिकारी पद के रिक्त पदो के विरुद्ध विज्ञापन संख्या U-15/UPRVUSA/2014 दिनांक 24.05.2014 के सापेक्ष सीधी भर्ती के माध्यम से की गयी थी तथा मौलिक नियुक्त के आदेश की तिथि दिनांक 07.08.2015 है। उक्त मौलिक नियुक्ति के आदेश के परिपालन में उन्होंने दिनांक 18.09.2015 को कार्यभार ग्रहण किया था। अतः उनकी वरिष्ठता चयन वर्ष 2014–15 में लिया जाना चाहिए जबकि उनके नाम ज्येष्ठता सूची में चयन वर्ष 2016–17 अंकित है जोकि उचित नहीं है।

6– उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि Accounts (Officers) Service Regulations 1984 में वरिष्ठता सूची तैयार किये जाने के विषय में भी स्पष्ट प्राविधान है कि चयन वर्ष की रिक्तियों/नियुक्तियों के सापेक्ष ही वरिष्ठता सूची तैयार की जानी है जोकि इनके प्रकरण में 2014–2015 है न कि वर्ष 2016–2017 । इसके अतिरिक्त उन्होंने लिखित परीक्षा, साक्षात्कार तथा प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त अंकों को पारस्परिक ज्येष्ठता निर्धारण हेतु निगम में प्रचलित ज्येष्ठता विनियमावली एवं प्राविधानों (कार्यालय ज्ञाप सं0 101/उनिलि/रिफॉर्म/विनियम : 116–36/2015 दिनांक 18.08.2015 के अनुसार निर्धारित) किये जाने का अनुरोध किया है।

(ग) सर्वश्री संजय कुमार, अरीब आकिफ मेहताब, गोविन्द कुमार एवं सुश्री ख्याति सिंह, लेखाधिकारियों से प्राप्त प्रत्यावेदन

प्रत्यावेदनकर्ताओं ने अपने प्रत्यावेदन में निम्नवत अभिकथित किया है :–

(1) का0 ज्ञा0 सं0 3791–मा0सं0–01/वि0उ0नि0लि0/2017–24–मा0सं0–01 दिनांक 16.10.2017 एवं का0ज्ञा0सं0 1344–मा0सं0–01/वि0उ0नि0लि0/2017–21–मा0सं0–01 दिनांक 25.04.2017 में ज्येष्ठता का आधार अंकित नही है।

(2) उनकी नियुक्ति जून 2014 की विज्ञप्ति के विरूद्व 15 सितम्बर 2015 को लेखाधिकारी (प्रशिक्षु) के पद पर हुई थी। उन्होंने दिनॉक 21.09.2015 में कार्यभार ग्रहण किया था

क्रमश :.....4/–

किन्तु अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में उन्हें चयन वर्ष 2016–17 में दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह उल्लेख किया है कि कार्यालय ज्ञाप सं0 934–मा0सं0–01/विउनिलि/2016 दिनॉक 26.03.2016 द्वारा लेखाधिकारी पद पर प्रोन्नत श्री महेन्द्र नाथ पाण्ड्या का नाम चयन वर्ष 2015–16 दर्शाया गया है, जिन्होंने उनके बाद कार्यभार ग्रहण किया है। कार्यालय ज्ञाप सं0 3311–मा0सं0–01/विउनिलि/2016 दिनाँक 21.11.2016 द्वारा लेखाधिकारी पद पर प्रोन्नत सर्वश्री पंकज भारद्वाज तथा धीरज कुमार श्रीवास्तव को उनके विरूद्व वरीयता दी गयी है। जबकि भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के ज्ञाप सं0 20011/1/2012–Estt, (D) दिनांक 04.03.2014 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 7514–7515/2005 में दिए गये निर्णय दिनांक 27.11.2012 के आधार पर सीधी भर्ती से नियुक्त कार्मिकों, जिनकी नियुक्ति पूर्व की विज्ञप्ति के विरूद्ध हुई है को प्रोन्नति से नियुक्त कार्मिकों के विरूद्ध वरियता दिया जाना है। अतः उन्होंने आपत्तियों का निराकरण किये जाने का अनुरोध किया है।

3– उपरोक्त प्रत्यावेदनों के सम्बन्ध में यह पाया गया है कि उ0प्र0 विद्युत सुधार अधिनियम, 1999 एवं उ0प्र0 विद्युत सुधार अन्तरण स्कीम, 2000 के अन्तर्गत दिनांक 14.01.2000 को उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद को तीन निगमों, यथा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 तथा उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 में विभाजित किया गया, जिसकी धारा 6(10) में निम्नवत् व्यवस्था है :–

"Subject to the provisions of the Act and this Scheme, the transferee shall frame regulations governing the conditions of service of personnel transferred to the transferee under this scheme **and till such time, the existing service conditions of the Board shall mutatis mutandis apply.**"

उक्त के सम्बन्ध में निगम द्वारा भी एक आदेश सं0: सचिव/उनिलि/151 दिनांक 18.02.2000 भी निर्गत किया गया, जिसमें यह स्पष्टतया उल्लेख किया गया कि उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 द्वारा अपने अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा–शर्तों सम्बन्धी मामलों के निस्तारण के सम्बन्ध में विनियम बनाये जाने तक पूर्ववर्ती परिषद में बनाये गये विनियम (अद्यतन संशोधित) एवं तत्सम्बन्धी जारी प्रशासनिक आदेश उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी मामलों के निस्तारण हेतु यथावत् आवश्यक परिवर्तनों सहित उन पर लागू माने जायेंगे।

4– इस प्रकार लेखा संवर्ग के अधिकारियों की नियुक्ति तथा ज्येष्ठता आदि के सम्बन्ध में उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद लेखा अधिकारी सेवा विनियमावली, 1984 तथा उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद सेवक ज्येष्ठता विनियमावली, 1998 लागू है। लेखा अधिकारी पद पर नियुक्तियॉ सीधी भर्ती तथा पदोन्नति दो स्त्रोतों से होती हैं। सीधी भर्ती तथा पदोन्नति से भरे जाने वाले पद अलग–अलग ईयर मार्क्ड हैं। उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद सेवक ज्येष्ठता विनियमावली, 1998 के विनियम–3 में यह प्राविधानित है कि इस विनियमावली का अध्यारोही प्रभाव होगा तथा यह विनियमावली इससे पूर्व बनायी गयी किसी अन्य सेवा विनियमावली में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी प्रभावी होगी। इस प्रकार उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद लेखा अधिकारी सेवा विनियमावली, 1984 में अन्यथा उपबंधित होने की स्थिति में उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद सेवक ज्येष्ठता विनियमावली, 1998 के ही प्राविधान प्रभावी होगें। उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद सेवक ज्येष्ठता विनियमावली, 1998 के

क्रमश :.....5/–

अनुसार उस स्थिति में जब किसी संवर्ग में नियुक्तियां पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों स्त्रोतों से की जाये तो ज्येष्ठता का निर्धारण विनियम–8(3) के अनुसार जहां किसी एक चयन के परिणामस्वरूप नियुक्तियां पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से की जायं वहां पदोन्नत व्यक्तियों की, सीधे भर्ती से नियुक्त किये गये व्यक्तियों के सम्बन्ध में ज्येष्ठता, जहां तक हो सके दोनों स्त्रोतों के लिए विहित कोटा के अनुसार, चक्रानुक्रम में (प्रथम स्थान पदोन्नत व्यक्ति का होगा) अवधारित की जायेगी। इसके अतिरिक्त निगम के कार्यालय ज्ञाप सं0 08–उनिलि/रिफॉर्म/रेगुलेशन/2010/सीनियारिटी दिनांक 07.01.2010 द्वारा उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद सेवक ज्येष्ठता विनियमावली, 1998 के विनियम–5 एवं 8 में संशोधन करते हुए इसे दिनांक 01.03.2008 से प्रभावी किया गया। इसी के अनुसार चयन वर्ष 2016–17 में सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति से नियुक्त लेखा अधिकारियों की वरिष्ठता का निर्धारण किया गया लेकिन बाद मे यह संज्ञान में आया कि निगम के उक्त कार्यालय ज्ञाप को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए कार्यालय ज्ञाप सं0 101/उनिलि/रिफॉर्म/विनियम:166–36/2015 दिनांक 18.08.2015 को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। चूँकि प्रत्यावेदनकर्ताओं की नियुक्ति चयन वर्ष 2016–17 में हुई है, अतः इनकी वरिष्ठता सूची को उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद सेवक ज्येष्ठता विनियमावली, 1998 एवं सपठित आदेश संख्या 101/उनिलि/रिफॉर्म/विनियम:166–36/2015 दिनांक 18.08.2015 में निहित प्राविधानों के अनुसार सही कर ली गयी है।

5– जहॉ तक प्रत्यावेदनकर्ताओं का यह कथन कि कार्यालय ज्ञाप सं0 3792–मा0सं0–01/विउनिलि/2017 दिनांक 16.10.2017 द्वारा घोषित अनन्तिम ज्येष्ठता सूची को पूर्ववर्ती उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद सेवक ज्येष्ठता नियमावली–1998 के प्राविधान–8 के अनुसार उस स्थिति में ज्येष्ठता जब नियुक्तियां पदोन्नति और सीधी भर्ती से की जाय, के सन्दर्भ में बिन्दु 8 (1) के प्राविधान तथा प्रतिबन्धाधीन प्राविधानों के आलोक में रखकर तैयार नहीं की गयी है, सही नहीं है क्योंकि प्रत्यावेदनकर्ताओं की निगम में नियुक्ति आदेश सं0 2320–मा0सं0–01/विउनिलि/2015 दिनांक 07.08.2015 द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से लेखाधिकारी (प्रशिक्षु) पद पर की गयी थी। उन्होंने नियुक्ति आदेश के अनुपालन में सितम्बर, 2015 में लेखाधिकारी (प्रशिक्षु) पद पर कार्यभार ग्रहण किया था। प्रशिक्षण पूर्ण करने एवं अन्तिम संविलियन परीक्षा उत्तीर्ण करने के फलस्वरूप निगम के कार्यालय ज्ञाप सं0 1344–मा0सं0–01/विउनिलि/2017 दिनांक 25.04.2017 द्वारा सर्वश्री दीपक कुमार, गोविन्द कुमार, सुश्री ख्याति सिंह, संजय कुमार, योगेश कुमार शर्मा, अरीब आकिफ मेहताब को दिनांक 19.09.2016 तथा श्री सुनील कुमार मिश्रा को दिनांक 03.11.2016 अर्थात चयन वर्ष 2016–17 (दि0 01.07.2016 से दि0 30.06.2017) से लेखाधिकारी पद पर नियमित रूप से नियुक्त किया गया था। चूँकि कार्यालय ज्ञाप सं0 1344–मा0सं0–01/विउनिलि/2017 दिनांक 25.04.2017 द्वारा उनकी लेखाधिकारी पद पर नियमित नियुक्ति क्रमशः दिनांक 19.09.2016 एवं दिनांक 03.11.2016 अर्थात चयन वर्ष 2016–17 (दिनांक 01.07.2016 से दिनांक 30.06.2017) में हुई है, अतः उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद सेवक ज्येष्ठता विनियमावली 1998 (यथासंशोधित) में निहित प्राविधानों के अनुसार वरिष्ठता निर्धारण हेतु उनका नाम चयन वर्ष 2016–17 में रखा गया है।

6– जहाँ तक प्रत्यावेदनकर्ताओं का यह कथन है कि पूर्व मे आदेश सं0 1385–मा0सं0–01/विउनिलि/2011 दिनांक 19.05.2011 द्वारा सीधी भर्ती से नियुक्त लेखाधिकारी (प्रशिक्षु) को चयन वर्ष 2011–12 की घोषित वरिष्ठता सूची में सम्मिलित किया गया है जबकि उन्हें चयन वर्ष 2016–17 में रखा गया है, के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि आदेश सं0 1385–मा0सं0–01/विउनिलि/2011 दिनांक 19.05.2011 में उल्लिखित अभ्यर्थियों ने जून, 2011 अर्थात चयन वर्ष 2010–11 (दिनॉक 01.07.2010 से दिनॉक 30.06.2011) में लेखाधिकारी (प्रशिक्षु) पद पर कार्यभार ग्रहण किया था। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने एवं अन्तिम संविलियन परीक्षा उत्तीर्ण करने के फलस्वरूप कार्यालय ज्ञाप संख्या 2563–मा0सं0–01/विउनिलि/2012 दिनांक 29.06.2012 द्वारा उन्हें दिनांक 18.06.2012 अर्थात चयन वर्ष 2011–12 (दिनांक 01.07.2011 से दिनांक 30.06.2012) में लेखाधिकारी पद पर नियमित रूप से नियुक्त किया

क्रमश :.....6/–

गया था। इस प्रकार उन लेखाधिकारियों की मौलिक नियुक्ति चयन वर्ष 2011–12 (दिनॉक 01.07.2011 से दिनॉक 30.06.2012) में हुई थी। अतः उन्हें चयन वर्ष 2011–12 की ज्येष्ठता प्रदान (Assign) की गयी है। जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है कि प्रत्यावेदनकर्ताओं की लेखा अधिकारी पद पर मौलिक नियुक्ति क्रमशः दिनांक 19.09.2016 एवं 03.11.2016 होने के दृष्टिगत उन्हें चयन वर्ष 2016–17 (दिनॉक 01.07.2016 से दिनॉक 30.06.2017) में रखा गया है, जोकि नियमानुसार एवं यथाक्रम (In Order) है।

7– जहॉ तक प्रत्यावेदनकर्ताओं का यह कथन कि कार्यालय ज्ञाप सं0 934–मा0सं0–01/विउनिलि/2016 दिनांक 26.03.2016 द्वारा प्रोन्नति से नियुक्त श्री महेन्द्र नाथ पाण्ड्या, लेखा अधिकारी को चयन वर्ष 2015–16 की घोषित ज्येष्ठता सूची में तथा कार्यालय ज्ञाप सं0 3311–मा0सं0–01/विउनिलि/2016 दिनांक 21.11.2016 द्वारा प्रोन्नति से नियुक्त सर्वश्री पंकज भारद्वाज एवं धीरज कुमार श्रीवास्तव को चयन वर्ष 2016–17 में रखा गया है, ठीक नहीं है, के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि श्री महेन्द्र नाथ पाण्ड्या की लेखा अधिकारी पद पर प्रोन्नति कार्यालय ज्ञाप सं0 934–मा0सं0–01/विउनिलि/2016 दिनांक 26.03.2016 अर्थात चयन वर्ष 2015–16 (दि0 01.07.2015 से दि0 30.06.2016) में हुई थी। उन्होंने दिनांक 09.04.2016 को कार्यभार ग्रहण किया था। श्री पाण्ड्या की लेखा अधिकारी पद पर मौलिक रूप से नियुक्ति चयन वर्ष 2015–16 (दिनांक 01.07.2015 से दिनांक 30.06.2016) में होने के दृष्टिगत उन्हें चयन वर्ष 2015–16 की ज्येष्ठता सूची में रखा गया है। इसी प्रकार सर्वश्री पंकज भारद्वाज एवं धीरज कुमार श्रीवास्तव की लेखा अधिकारी पद पर प्रोन्नति निगम के कार्यालय ज्ञाप सं0 3311–मा0सं0–01/विउनिलि/2016 दिनांक 21.11.2016 द्वारा हुई थी। उन्होंने क्रमशः दिनांक 21.11.2016 एवं 05.12.2016 अर्थात चयन वर्ष 2016–17 में लेखा अधिकारी पद पर कार्यभार ग्रहण किया था। इस प्रकार उनकी लेखा अधिकारी पद पर मौलिक नियुक्ति चयन वर्ष 2016–17 (दिनांक 01.07.2016 से दिनांक 30.06.2017) में होने के दृष्टिगत उन्हें चयन वर्ष 2016–17 की ज्येष्ठता सूची में रखा गया है। जहॉ तक प्रोन्नति से नियुक्त लेखा अधिकारियों को वरीयता दिये जाने का सम्बन्ध है, उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद सेवक ज्येष्ठता विनियमावली 1998 (यथासंशोधित) के भाग–02 के बिन्दु 8(3) में यह स्पष्ट प्राविधान है कि "जहॉ किसी एक चयन के परिणामस्वरूप नियुक्तियां पदोन्नति एवं सीधी भर्ती दोनों प्रकार से की जाय वहां पदोन्नत व्यक्तियों की सीधे भर्ती किये गये व्यक्तियों के सम्बन्ध में ज्येष्ठता, जहां तक हो सके दोनों स्त्रोतों के लिए विहित कोटा के अनुसार, चक्रानुक्रम में (प्रथम स्थान पदोन्नत व्यक्ति का होगा) अवधारित की जायेगी।"

चूँकि चयन वर्ष 2016–17 में लेखा अधिकारी पद पर नियुक्तियां सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति दोनों प्रकार से की गयी है, अतः चयन वर्ष 2016–17 की घोषित अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में उन्हें चक्रानुक्रम में अर्थात प्रथम स्थान पदोन्नत व्यक्ति को रखा गया है, जोकि नियमानुसार है।

8– जहॉ तक प्रत्यावेदनकर्ताओं ने अपने प्रत्यावेदन में उ0 प्र0 पॉवर कारपोरेशन लि0 में चयन वर्ष 2015–16 में सहायक अभियन्ता के पद पर उपलब्ध रिक्तियों के विरूद्व अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति सम्बन्धी आदेश संख्या 2646 एवं 2648/अ0प्र0–07/पा0का0लि0/16–05–अ0प्र0–07/15 दिनांक 30.06.2016 के पैरा 02 का हवाला देते हुए जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि प्रोन्नत सहायक अभियन्ताओं की एकल पारस्परिक वरिष्ठता सूची चयन वर्ष 2015–16 में सहायक अभियन्ता की सीधी भर्ती की उपलब्ध रिक्तियों के विरूद्व चयन हेतु विद्युत सेवा आयोग द्वारा प्रकियाधीन कार्यवाही के फलस्वरूप चयनित होने वाले सहायक अभियन्ताओं के

क्रमश :.....7/–

साथ 'Amalgamate' करते हुए घोषित की जायेगी, के सम्बन्ध में यहॉ यह उल्लेख करना पर्याप्त होगा कि पूर्ववर्ती उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद के विघटन के बाद अस्तित्व में आये निगम अपने सेवकों के लिए भिन्न–भिन्न सेवा विनियम बनाने हेतु स्वतन्त्र हैं। जैसा पहले उल्लेख आ चुका है उत्पादन निगम मे वरिष्ठता निर्धारण के सम्बन्ध में उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद सेवक ज्येष्ठता विनियमावली, 1998 (यथासंशोधित) तथा यथास्थिति आदेश सं0 101/उनिलि/रिफॉर्म/विनियम:166–36/2015 दिनांक 18.08.2015 प्रभावी है। उत्पादन निगम लि0 में प्रभावी सेवा विनियमों के सही सही निर्वचन (Interpretation) के आधार पर लेखा अधिकारियों की ज्येष्ठता सूची निरूपित की गयी है। प्रत्यक्षतः पावर कारपोरेशन लि0 में सीधी भर्ती से नियुक्ति की प्रक्रिया लम्बे समय तक चलने के कारण पा0का0लि0 ने यह निर्णय लिया हो कि इस प्रक्रियाधीन चयन विशेष के फलस्वरूप जो सहायक अभियन्ता पद पर नियुक्त होंगे, उन्हें वरिष्ठता चयन वर्ष 2015–16 की प्रदान (Assign) की जायेगी। पावर कारपोरेशन लि0 का यह कदम न तो किसी वरिष्ठता नियम का अनुवर्तन कहा जा सकता है और न ही उत्पादन निगम को तत्समान प्रक्रिया अपनाने हेतु बाध्य किया जा सकता है।

9– जहॉ तक प्रत्यावेदनकर्ताओं का यह कथन कि भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के ज्ञाप सं0 20011/1/2012–Estt.(D) दिनांक 04.03.2014 में दिये गये निर्णय दिनांक 27.11.2012 के आधार पर सीधी भर्ती से नियुक्त कार्मिक, जिनकी नियुक्ति पूर्व की विज्ञप्ति के विरूद्ध हुआ है, को चयन हेतु आदेश की तिथि को आलोक में रखते हुए प्रोन्नति से नियुक्त कार्मिक के विरूद्ध वरीयता दिया जाता है, का सम्बन्ध है, उल्लेखनीय है कि प्रत्यावेदनकर्ताओं द्वारा संलग्न किये गये भारत सरकार के आदेश दिनांक 04.03.2014 के अवलोकन से यह साफ जाहिर है कि भारत सरकार ने यह आदेश केन्द्रीय सेवाओं में वरिष्ठता के निर्धारण के सम्बन्ध में जारी पूर्व आदेश सं0–9/11/55–RPS दिनांक 29.12.1959 में 2008 के बाबत एक श्री एन0आर0 परमार द्वारा दायर सिविल अपील में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.11.2012 के परिप्रेक्ष्य में जारी किये गये थे। ज्ञातव्य हो कि उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद सेवक ज्येष्ठता विनियमावली, 1998 राज्य सरकार की विनियमावली उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता विनियमावली–1991 पर पूर्णतया आधारित थी। बाद में निगम की आवश्यकताओं के दृष्टिगत निगम में इस विनियमावली को अग्रेतर संशोधित करते हुए कुछ नये प्राविधान भी जोड़े गये हैं। मा0 सर्वोच्च न्यायालय में न तो लम्बित प्रश्नगत याचिका में राज्य सरकार अथवा उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद अथवा उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 का कोई प्रकरण विचारित था और न ही केन्द्र सरकार द्वारा जारी नियम, आदेश राज्य अथवा राजकीय नियमों से सम्बन्धित थे/हैं। अतः चर्चागत आदेश हमारे निगम के सम्बन्ध में लागू नही है। फलस्वरूप प्रत्यावेदनकर्ताओं को उसमें लिखी गयी किसी बात का कोई लाभ अथवा हानि अनुमन्य ही नही है।

10– तद्नुसार सर्वश्री योगेश कुमार शर्मा, संजय कुमार, सुनील कुमार मिश्रा, सुश्री ख्याति सिंह, अरीब आकिफ मेहताब, गोविन्द कुमार तथा दीपक कुमार, लेखा अधिकारियों के प्रत्यावेदन निस्तारित करते हुए उन्हें अस्वीकार किया जाता है।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या : 587(1) मा0सं0–01/वि0उ0नि0लि0/2018–तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।

क्रमश :.....8/–

(प्रगति) (3)

2– निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन/तकनीकी/वित्त/परियोजना एवं वाणिज्य), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के स्टाफ ऑफिसर/निजी सचिव।

3– मुख्य अभियन्ता एवं परियोजना समन्वयक, ओबरा/अनपरा/हरदुआगंज/पनकी/पारीछा तापीय विद्युत परियोजना, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, ओबरा (सोनभद्र)/अनपरा (सोनभद्र)/कासिमपुर (अलीगढ़)/पनकी (कानपुर)/पारीछा (झाँसी)।

4– मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

5– कम्पनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

6– महाप्रबन्धक (लेखा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

7– मुख्य परियोजना प्रबन्धक (प्रगति), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, चतुर्थ तल, नवीन भवन, टीसी/46वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010 को अपलोड कराने हेतु।

8– श्री योगेश कुमार शर्मा, लेखाधिकारी, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत 9– श्री संजय कुमार, लेखाधिकारी, 'ब' ताप विद्युत गृह, अनपरा तापीय परियोजना, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, अनपरा (सोनभद्र)।

10– सुनील कुमार मिश्रा, लेखाधिकारी (लेखा), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

11– सुश्री ख्याति सिंह, लेखाधिकारी (जी0एस0टी0सेल), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत 12– श्री अरीब आकिफ मेहताब, लेखाधिकारी, हरदुआगंज 'स' तापीय परियोजना, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, कासिमपुर (अलीगढ़)।

पंजीकृत 13– श्री गोविन्द कुमार, लेखाधिकारी, हरदुआगंज 'द' तापीय परियोजना, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, कासिमपुर (अलीगढ़)

14– श्री दीपक कुमार, लेखाधिकारी (वित्त), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

15– वैयक्तिक पत्रावली/कट फाईल।

आज्ञा से,

21.2.18

(निखिल चतुर्वेदी)
अधिशासी अभियन्ता (मा0सं0–01)